



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017
दूरभाष : 0141-5192265, 5192261 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com



क्रमांक : रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/एस.ए.जी.-14/3692

दिनांक : 07/06/17

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

संशोधित दिशा-निर्देश

विषय :- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2017-18 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ:-रामाशिप का पत्रांक रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/एस-ए-जी-14/3123
दिनांक 16.05.2017

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2017-18 की वार्षिक योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

A. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2017-18 की राशि के उपयोग हेतु सामान्य दिशा-निर्देश :-

1. रामाशिप की वार्षिक योजना 2017-18 में विद्यालय वार्षिक अनुदान 14056 विद्यालयों हेतु 50,000 रु. प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत किया गया है, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग विद्यालय आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित वित्तीय सीमा में निम्नांकित मदों हेतु किया जावे :-
 - 1.1. बिजली, पानी, टेलिफोन, इंटरनेट, सफाई, रंगाई, पुताई आदि सुविधाओं पर।
 - 1.2. समाचार पत्रों, मैग्जीन, पीरियोडिक्स, पुस्तक क्रय आदि पर।
 - 1.3. खेलकूद सामग्री, संगीत, शिक्षण सहायक सामग्री, नक्शे, चार्टस, स्टेशनरी आदि पर।
 - 1.4. स्पोर्ट्स दिवस, वार्षिक समारोह, शिक्षक अभिभावक संघ व विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति बैठक आयोजन।
 - 1.5. प्रयोगशाला उपकरणों के रख-रखाव, मरम्मत व अस्थाई सामग्री क्रय व अग्निशमन यंत्र रख-रखाव।
 - 1.6. अन्य आवर्ती मद में विद्यालय आवश्यकतानुसार।

नोट :- अनावर्ती मद जैसे फर्नीचर, उपकरण क्रय एवं अन्य स्थायी सामग्री आदि पर व्यय नहीं किया जावे।

2. एसएजी राशि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय, मॉडल स्कूलों एवं संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों को ही जारी की गई है।
3. विद्यालयों द्वारा उक्त राशि एवं इसके विरुद्ध किये गये व्यय का पृथक से रिकॉर्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि

का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित हो एवं विद्यालय पर इसका गुणात्मक प्रभाव दिखाई दे इसके लिए पुख्ता मॉनिटरिंग एवं आकस्मिक निरीक्षण का प्रावधान भी जिला स्तर पर किया जावे।

4. संबंधित विद्यालयों को शीघ्र ही उनके एसडीएमसी खाते में राशि हस्तान्तरण रामाशिप, जयपुर द्वारा किया जा रहा है तथा संस्कृत विद्यालय व आदिवासी विद्यालयों की राशि पूर्व की भांति जिलों को हस्तांतरित की जा रही है। विद्यालयों को राशि प्राप्त होने/नहीं होने की सूचना राशि जारी होने के 07 दिवस में परिषद को प्रेषित करें।
5. विद्यालयों को इस राशि के समुचित उपयोग के लिए संबंधित संस्थाप्रधानों को उपयुक्त एवं स्पष्ट निर्देश जारी कर नियमानुसार राशि का उपयोग सुनिश्चित करावे।
6. सभी विद्यालयों द्वारा उन्हें प्राप्त राशि का शत प्रतिशत उपयोग दिनांक 28.02.2018 तक निर्धारित मापदण्डानुसार कर लिया जावे तथा जिला स्तर पर सूचना समेकित कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेखा शाखा रामाशिप, जयपुर को प्रेषित की जावे।
7. विद्यालयों को जारी की गई राशि के विरुद्ध व्यय की सूचना संलग्न पत्रानुसार संकलित करें। (संलग्न प्रपत्र 1-4)

B. कार्य प्रक्रिया-विद्यालय स्तर पर :-

1. सर्वप्रथम विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हिकरण करें एवं प्राथमिकता अनुसार विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति में प्रस्ताव का अनुमोदन करावे।
2. क्रय में वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करें तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल बाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
4. उपयोग के पश्चात् वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा जिला कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इस हेतु संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें।

विद्यालय वार्षिक अनुदान की जारी राशि का व्यय निम्न मदों में नहीं किया जावे :-

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्रधानाध्यापक/स्टॉफ कक्ष में फर्नीचर क्रय नहीं किया जावे)।
2. उत्सव मनाना (स्पोर्ट्स दिवस व वार्षिक समारोह के अतिरिक्त) व उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।
3. स्थायी सामग्री का क्रय।

C. ध्यान देने योग्य बिन्दु :-

1. विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्णपारदर्शिता एवं नियमानुसार क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थी हित एवं विद्यालय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जावे।

3. क्रय की गई सामग्री का उचित रख-रखाव करते हुए, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
4. विद्यालय निरीक्षण के दौरान प्रभारी/राज्य व जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत ली गई सामग्री के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन किया जावेगा एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2017-18 की क्रियान्विति निर्धारित समय सीमा में ही करें एवं 28 फरवरी, 2018 तक समस्त राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

जिन विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में नामांकन शून्य हैं उन विद्यालयों को यह राशि जारी नहीं की गई है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(जस्सारीम चौधरी)

अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
2. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि सत्र 2017-18 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समस्त जिला परियोजना समन्वयक रामाशिअ से प्राप्त करावें।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक, एसएजी, रामाशिप, जयपुर।
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, समस्त जिले को देकर लेख है कि उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।
6. लेखा शाखा, रामाशिप, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र-1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नाम :

विद्यालय कोड :

क्र.सं.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	मद जिन पर व्यय किया गया	नियमानुसार व्यय हों/नहीं	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017-18									
योग									

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र-2 (विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड संधारण)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम, पता व मोबाईल नं.
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2017-18											
योग											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र-3 (विद्यालयों का समेकित)

क्र.सं.	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	राशि रूपयों में फर्म का नाम, पता व मोबाईल नं.
1	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2017-18										
योग										

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र-4 (जिला स्तरीय समेकित)

क्र.सं.	सत्र	विद्यालयों की संख्या	विद्यालय को जारी राशि	विद्यालय द्वारा व्यय की गई राशि	शेष अनुपयोगिता राशि	नियमानुसार व्यय हों/नहीं	अनियमितता के संदर्भ में की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2	3	3	5	6	7	8	9
2017-18								
योग								

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

कार्यालय का नाम :

क्रमांक.....

दिनांक :.....

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017-18 हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में(विद्यालय का नाम) को प्राप्त राशि.....में से.....राशि निम्नानुसार व्यय की गई है, उक्त में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

प्रमाणित कर्ता
(संस्थाप्रधान)
मय मोहर